

Affix your
passport
size photo

क्रम संख्या-
मूल्य-100) (एक सौ रुपये मात्र) नियमित/पूर्ववर्ती
बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य तृतीय खण्ड की सामान्य/प्रतिष्ठा परीक्षा, 201
नोट-विश्वविद्यालय में पंजीकृत नाम ही लिखें।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम (Name in English in Block Letters).....
3. पिता का नाम वर्तमान पता
4. जन्म तिथि 5. पंजीयन संख्या वर्ष
6. पुरुष/महिला
7. परीक्षा के विषय :-

संकाय	अनिवार्य विषय (सामान्य ज्ञान)	सामान्य विषय (General)	प्रतिष्ठा का विषय	एच्छक, पत्र
				प्रथम वर्ष
				1
				2
				3 आ० भाषा

8. उत्तीर्ण स्नातक प्रथम खण्ड का रोल केन्द्र क्रमांक
(प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित अंक पत्र का उसकी छायाप्रति अवश्य संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जायेगा।)
9. उत्तीर्ण स्नातक द्वितीय वर्ष (अभिप्रमाणित अंक पत्र के साथ) का विवरण :-
(क) कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नाम.....
(ख) वर्ग (ग) रोल..... (घ) केन्द्र (ङ) क्रमांक.....
10. अनुत्तीर्ण स्नातक प्रथम खण्ड परीक्षा का विवरण :-
(क) कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नाम.....
(ख) वर्ग (ग) रोल..... (घ) केन्द्र (ङ) क्रमांक.....
(च) अनुत्तीर्ण विषय
11. अनुत्तीर्ण स्नातक द्वितीय खण्ड परीक्षा का विवरण :-
(क) कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नाम.....
(ख) वर्ग (ग) रोल..... (घ) केन्द्र (ङ) क्रमांक.....
(च) अनुत्तीर्ण विषय
12. स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में अध्ययन का विवरण
(क) कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नाम.....
(ख) सत्र (ग) कक्षा का क्रमांक.....
13. परीक्षा की भाषा (Examination Script)
14. परीक्षार्थी का स्थायी पता :-

15. National Academic Depository NAD user id--

16. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रथम एवं द्वितीय खण्ड आवेदक का हस्ताक्षर
की परीक्षाओं में सभी विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है। (प्राचार्य/प्रभारी के समक्ष ही हस्ताक्षर)

प्रमाण-पत्र घोषणा
नियमित/पूर्ववर्ती छात्रों के लिए)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित कर दिया है कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण है जिसका रोल नंबर..... है।
(क) केवल नियमित छात्रों के लिए :- इन्होंने कॉलेज में कला/विज्ञान/वाणिज्य स्नातक तृतीय खण्ड की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उत्तप्रेषित हो गए हैं और इनका आचरण अच्छा है।
(ख) केवल पूर्ववर्ती छात्रों के लिए :-इन्होंने विश्वविद्यालय परिनियमों के अनुकूल सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और स्नातक तृतीय खण्ड की परीक्षा में बैठने के अधिकारी हैं। इन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है और इनके आचरण के विरुद्ध कुछ नहीं जानता हूँ।
(नोट :-जो आनपेक्षित हो उसे काट दें)

सहायक हस्ताक्षर

प्राचार्य का हस्ताक्षर
मुहर

परीक्षार्थियों के लिए नियम

1. परीक्षार्थी पूर्व निश्चित तिथियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।
2. ऐसे परीक्षार्थी को, जो ऐसा बीमारी से ग्रसित हो जिनके कारण उसकी उपस्थिति अन्य परीक्षार्थियों के लिए हानिकारक हो सकता हो, परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तथा यदि वह वहाँ पाया जायेगा तो उसे वहाँ से हटा दिया जायेगा। परंतु यदि सम्भव हो तो केन्द्र व्यवस्थापक एक अलग कमरे में उनकी परीक्षा लेने का प्रबंध कर सकते हैं।
प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबन्ध रहेगा जिस पर अपने प्रवेश-पत्र में अंकित संख्या लिखी रहेगी। परीक्षार्थी निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा विलम्ब ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश कर सकेंगे।
3. जो परीक्षार्थी परीक्षा भवन में दूसरे को सहायता करता या किसी प्रकार का अवैध सहायता देने की चेष्टा करता या अन्य अनुचित लाभ के लिये कोई दूसरा अवैध उपाय करता हुआ पाया जायेगा, वह परीक्षा भवन से निकाल दिया जायेगा तथा कानूनन अन्य दण्ड के भागी होंगे। परीक्षार्थियों की परस्पर किसी प्रकार से विचार विनिमय का अधिकार न होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र उत्तर पुस्तिका, प्रदत्त पत्र और सोखता तथा उपकरणों के सिवा परीक्षार्थियों को अपने पास परीक्षा कक्ष में कोई भी फाजिल कागज पत्र रखना वर्जित है इनका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों को निकाल दिया जायेगा।
4. जो परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अवैध उपायों का अवलम्बन करते हुए पाये जाते समय अथवा उसके संदेह होने पर अवैध पास के किसी कागज या सबूत को फाड़कर निगलकर या अन्य किसी प्रकार से नष्ट करने की चेष्टा करते पाये जायेंगे उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उस समय की परीक्षा से संबंधित अवैध कागज उसके पास थे। और प्रदत्त धारा के दण्ड संहिता के अनुसार सजा के भागी होंगे।
5. उत्तर लिखना प्रारंभ करने के पहले प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना केन्द्र और नामांक तथा पंजीयन संख्या लिखना अनिवार्य है। परंतु परीक्षार्थी को अपना अथवा कॉलेज का नाम कदापि नहीं लिखना चाहिए। परीक्षार्थी को हिदायत दी जाती है कि जिस उत्तर पुस्तिका पर केन्द्र नामांक एवं पंजीयन संख्या स्पष्ट रूप से लिखी न होगी उसे जाँचा नहीं जा सकता।
6. यदि कोई परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में कोई आपत्ति जनक या अनुचित बात लिखने का अपराधी पाया जायेगा तो उसका नाम विश्वविद्यालय में उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जायेगा।
7. प्रश्न पत्र या सोखते पर कोई दूसरी बात लिखना वर्जित है।
8. परीक्षा कक्ष के प्रधान निरीक्षक के आदेश पर परीक्षार्थी के लिए अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
9. प्रश्न पत्र बाँटने के एक घण्टा तक किसी परीक्षार्थी का न तो अपनी उत्तर पुस्तिका वापस करने दी जायेगी न अल्पकाल के लिए भी सीट छोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
10. यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक से कुछ पूछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए और कक्ष निरीक्षक के वहाँ पहुँचने तक खड़ा रहना चाहिए। किसी को कक्षा में पुछ कर अपना स्थान छोड़ना होगा और न कक्ष निरीक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसी प्रकार का शोर ही मचाना होगा।
11. प्रश्न पत्र बाँटने के समय के ठीक पाँच मिनट पहले घण्टी बजायी जायेगी तो इस बात की चेतावनी होगी सभी परीक्षार्थी अपने-अपने स्थान पर बैठ जाय। चेतावनी की इस घण्टी के बज जाने के भीतर परीक्षा भवन या निकटवर्ती स्थानों में पाया जाने वाला कोई भी व्यक्ति अनाधिकार प्रवेश दोषी माना जायेगा और उसे बाहर निकाल दिया जायेगा।
12. फाउन्टेन पेन से लिखना वर्जित नहीं परंतु सारी परीक्षा में आदि से अंत तक एक ही प्रकार की रोशनाई का व्यवहार होना चाहिए।
13. आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की ओर से लॉग टेबूल तथा साफ कागज दिये जायेंगे। बाहरी साफ कागज व्यवहार करना मना है।
14. इन विषयों में जो बातें न आ चुकी हो उनके संबंध में केन्द्र व्यवस्थापक आवश्यकतानुसार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश देंगे और सूचना विश्वविद्यालय को भेज देंगे।
15. Visit <https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html> to create NAD User ID